परिपत्र/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2023-24// 487 / राज्य कर,
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(चरित्र पंजिका अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: 22 मई, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
संख्या संवर्ग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी।

कृपया वर्ष 2023-24 हेतु जारी वार्षिक परिपत्र संख्या-63 दिनांक 05-04-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-3 में शासनादेश संख्या-63/सैतालिस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24-02-2024 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने की **तिथि 30 जून तक**, तथा प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित करने के लिए **क्रमशः 31 अगस्त तथा 31 अक्टूबर तथा 31 दिसम्बर तक** का समय निर्धारित करते हुए **दिनांक 31 दिसम्बर के बाद स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है।**

समसंदर्भ में आपको यह पुनः अवगत कराना है कि स्वमूल्यांकन आख्या अपलोड किये जाने तथा प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य दिए जाने हेतु निर्धारित उक्त तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जबकि अभी तक अधिकांश अधिकारियों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या अपलोड नहीं की गयी है। **समयान्तर्गत अपनी स्वमूल्यांकन आख्या अपलोड न करने वाले तथा त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण कार्यविवरण ऑनलाइन अपलोड करने की स्थिति में यदि प्रविष्टियां स्वीकर्ता अधिकारी से पूर्ण नहीं हो पाती हैं या कालबाधित हो जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अधिकारी का होगा। अतः आप समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, आप अपना वित्तीय वर्ष 2023-24 से सम्बन्धित स्वमूल्यांकन आख्या / कार्यविवरण निर्धारित समय-सीमा में सही-सही ऑनलाइन अपलोड करते हुए, समय-समय पर अपने ACR TRACKING REPORT का अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगें।**

वार्षिक मन्तव्य अंकित करते समय उपरोक्त निर्देशों/**समयसारणी** का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जाए।

ह0/-

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
प्रभार अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0 संख्या एवं दिनांक : ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, कैम्प कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ एवं निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ राज्य कर विभाग के कार्यरत अधिकारी के विषय में अपना वार्षिक गोपनीय मन्तव्य सीधे अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को तथा उसकी प्रतिलिपि राज्य कर, मुख्यालय को दिनांक **31-7-2024** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत उपायुक्त, राज्य कर (निबन्धक) के विषय में अपना वार्षिक गोपनीय मन्तव्य सीधे अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, शासन को तथा उसकी प्रतिलिपि राज्य कर, मुख्यालय को दिनांक **31-07-2024** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
6. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद । मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों का वार्षिक मन्तब्य निर्धारित समय सारिणी के अन्दर ऑनलाइन अपलोड करने तथा स्वमूल्यांकन विवरण निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करे ।
7. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
8. स्थापना राजपत्रित चरित्र पंजिका अनुभाग, मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियॉ अभिलेख में रखने हेतु ।
9. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

4ड7
आई0टी0